(15)

पत्रांक: 1/प्रा0आ0-09/2011.......4400......./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 26/12/2011

विषय: गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृहरक्षकों को आपदा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भुगतान के संबंध में।

महाशय,

बाढ़ आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पानी में खोज एवं बचाव कार्य हेतु पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त गृहरक्षकों एवं समुदाय के चयनित व्यक्तियों को गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। गोताखोर के रूप में प्रशिक्षित गृहरक्षकों / समुदाय के चयनित व्यक्तियों से बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना आदि के दौरान कार्य लिये जाने पर अथवा बाढ़ आपदा के समय आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि में उनका प्रतिनियोजन करने पर उन्हें देय दैनिक मजदूरी/ मानदेय/ भत्ता भुगतान का विषय सरकार के विचाराधीन था।

इस बिन्दु पर सम्यक् विचार करते हुए विभाग का निर्णय है कि सामान्य समय में गोताखोरों को दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति करने का कोई औचित्य नहीं है। इनका उपयोग समय-समय पर निश्चित अवधि के लिए बाढ़ आपदा में खोज एवं बचाव तथा नाव दुर्घटना आदि में शवों को ढूँढने एवं जीवन रक्षा हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार काम के अनुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों को श्रम विभाग द्वारा कुशल मजदूरों के लिए निर्धारित दर पर आबादी निष्क्रमण मद से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रकार गोताखोरी के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षित गृह रक्षकों को देय दैनिक भत्ते का भुगतान गृह विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आबादी निष्क्रमण मद से किया जाएगा। परंतु किसी भी दशा में ऐसे गोताखोरों का प्रतिनियोजन आवश्यकता से अतिरिक्त अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

पत्रांक ....4400......../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 26.12.011

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

पत्रांक ....4400......../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 26.12.011

प्रतिलिपि: सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

G:\divers.docx